न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू (राज.)

पीठासीन अधिकारी:– श्री शिवपाल जाट (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर:– 333 / 2016

हरलाल पुत्र लादूराम जाति जाट निवासी छावसरी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू

प्रार्थी

बनाम

1. सज्जनकुमार पुत्र ज्वालाप्रसाद सहल जाति ब्राहम्ण पुजारी मंदिर श्री खाकी जी महाराज निवासी छावसरी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू
2. नायब तहसीलदार गुढागोड़जी जरिये संरक्षक मंदिर मूर्ति श्री खाकी जी महाराज ग्राम छावसरी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू
3. आयुक्त देवस्थान विभाग उदयपुर जिला उदयपुर राजस्थान

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अ0 धारा 251 (क) आर.टी.एक्ट

निर्णय दिनांक 23/10/17

प्रार्थी ने जरिये वकील प्रार्थना पत्र अ0 धारा 251 (क) इस आशय का प्रस्तुत किया है कि ग्राम छावसरी की सरहद में प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 543 रकबा 2.46 है0 स्थित है। जिसमें प्रार्थी का हिस्सा 1/4 है। प्रार्थी अपने हिस्से की भूमि में पुख्ता मकानात निवास करता है व नलकूल लगाकर अपने हिस्से की भूमि की सिंचाई करता है। प्रार्थी के हिस्से में आई भूमि में कोई कटाणी रास्ता उपलब्ध नहीं है जिसके कारण कृषि कार्य व आवागमन में काफी समस्या का सामना करना पड़ता है। प्रार्थी के खेत के दक्षिण दिशा में छावसरी से टीटनवाड़ जाने का कटाणी रास्ता कदीमी है। इस रास्ते और प्रार्थी के खेत के बीच में भूमि खसरा नम्बर 544 रकबा 1.60 है0 स्थित है जिसकी खातेदार मंदिर श्री खाकी जी महाराज के नाम से दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थी के खेत में आवागमन हेतु उक्त मंदिर भूमि से होकर रास्ता मौजूद है। इस रास्ते के अलावा प्रार्थी की भूमि में आने जाने के लिए अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी प्रस्तुत नजरी नक्शा में दर्शाये अनुसार रास्ता कटाणी घोषित करवाना चाहता है। अंत में निवेदन किया है कि भूमि खसरा नम्बर 544 की पूर्वी दिशा के सहारे सहारे 270 गुणा 12 वर्गफीट का रास्ता प्रार्थी की भूमि में आवागमन हेतु उपलब्ध करवाया जाना प्रार्थनीय है। प्रार्थना पत्र दर्ज किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी वास्ते जबाबदेही की गई।

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

Scanned by CamScanner

अप्रार्थीगण बावजूद तामिल सूचना के उपस्थित नहीं होने के कारण इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

प्रकरण में तहसीलदार उदयपुरवाटी से मौका रिपोर्ट तलब की गई। फर्द मौका दिनांक 16.10.2017 के अनुसार भूमि खसरा नम्बर 543 में आवागमन हेतु खसरा नम्बर 544 की पूर्वी सीमा के सहारे सहारे रास्ता मौके पर मौजूद है। मौके पर रास्ते की लम्बाई 94 मीटर व चौड़ाई 4 मीटर यानी 376 वर्ग मीटर पाई गई। इस रास्ते के अलावा प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 543 में आवागमन हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद नहीं है। फर्द मौका पर नजरी नक्शा दर्शाया गया है।

बहस प्रार्थना पत्र श्रवण की गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थी ने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि
ग्राम छावसरी की सरहद में प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 543 रकबा 2.46 है0 स्थित है। जिसमें प्रार्थी का हिस्सा 1/4 है। प्रार्थी अपने हिस्से की भूमि में पुख्ता मकानात निवास करता है व नलकूल लगाकर अपने हिस्से की भूमि की सिंचाई करता है। प्रार्थी के हिस्से में आई भूमि में कोई कटाणी रास्ता उपलब्ध नहीं है जिसके कारण कृषि कार्य व आवागमन में काफी समस्या का सामना करना पड़ता है। प्रार्थी के खेत के दक्षिण दिशा में छावसरी से टीटनवाड़ जाने का कटाणी रास्ता कदीमी है। इस रास्ते और प्रार्थी के खेत के बीच में भूमि खसरा नम्बर 544 रकबा 1.60 है0 स्थित है जिसकी खातेदार मंदिर श्री खाकी जी महाराज के नाम से दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थी के खेत में आवागमन हेतु उक्त मंदिर भूमि से होकर रास्ता मौजूद है। इस रास्ते के अलावा प्रार्थी की भूमि में आने जाने के लिए अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी प्रस्तुत नजरी नक्शा में दर्शाये अनुसार रास्ता कटाणी घोषित करवाना चाहता है। अतः भूमि खसरा नम्बर 544 की पूर्वी दिशा के सहारे सहारे 270 गुणा 12 वर्गफीट का रास्ता प्रार्थी की भूमि में आवागमन हेतु उपलब्ध करवाया जाना प्रार्थनीय है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया तथा विद्वान वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 543 ग्राम छावसरी में स्थित हैं। उक्त वर्णित भूमि में आवागमन हेतु प्रार्थी के खेत के दक्षिण दिशा में छावसरी से टीटनवाड़ जाने का कटाणी रास्ता मौजूद है। इस रास्ते और प्रार्थी के खेत के बीच में भूमि खसरा नम्बर 544 रकबा 1.60 है0 स्थित है जिसकी खातेदार मंदिर श्री खाकी जी महाराज के नाम से दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थी के खेत में आवागमन हेतु उक्त मंदिर भूमि से होकर रास्ता मौजूद है। इस रास्ते के अलावा प्रार्थी की भूमि में आने जाने के लिए अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। इस तथ्य की ताईद तहसीलदार उदयपुरवाटी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 16.10.2017 से होती है। जिसके अनुसार प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 543 में आवागमन हेतु खसरा नम्बर 544 की पूर्वी सीमा के सहारे सहारे रास्ता मौके पर मौजूद है। मौके पर रास्ते की लम्बाई 94

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी (झुन्झुनूं)

Scanned by CamScanner

मीटर व चौड़ाई 4 मीटर यानी 376 वर्ग मीटर पाई गई। इस रास्ते के अलावा प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 543 में आवागमन हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद नहीं है। फर्द मौका पर नजरी नक्शा दर्शाया गया है। उक्त विवेचन से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाना उचित व न्यायोचित प्रतित होता है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अ0 धारा 251 (क) रा0 का0 अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम छावसरी के भूमि खसरा नम्बर 543 में कृषि कार्य हेतु आवागमन हेतु मंदिर श्री खाकी जी महाराज की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 544 की पूर्वी सीमा के सहारे सहारे रास्ता जिसकी लम्बाई 94 मीटर व चौड़ाई 4 मीटर यानी 376 वर्ग मीटर है, राजकीय रास्ता कायम किया जाता है। प्रार्थी उक्त रास्ते में समायोजित होने वाली भूमि के बदले अपनी खातेदारी भूमि में से मंदिर श्री खाकी जी महाराज के हक में भूमि देगा। तदनुसार तहसीलदार उदयपुरवाटी मंदिर हक में भूमि समायोजित होने के पश्चात नियमानुसार राजस्व रिकार्ड में उक्त रास्ता को राजकीय रास्ता कायम करेंगे तथा इसी अनुसार नक्शा ट्रेस में तरमीम करेंगे। फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 16.10.2017 इस आदेश का अभिन्न हिस्सा रहेगा।

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी (झुन्झुनूँ)

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

निर्णय आज दिनांक 23.10.17 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी (झुन्झुनूँ)

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

Scanned by CamScanner